जनजाती क्षेत्र उपयोजना/जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना
सन २०११-२०१२ चे जिल्हानिहाय व योजनानिहाय
अर्थसकल्पीय तरतुदीचे वाटप **"कामगार व कामगार कल्याण"**

**महाराष्ट्र शासन**
**आदिवासी विकास विभाग**
**शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०११/प्र.क्र.९/का.६**
**मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२.**
**दिनांक :- २१ जून,२०११.**

**वाचा :** १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.लेखानु -२०.११/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प-३, दि.३१.३,२०११
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.लेखानु -२०.११/प्र.क्र.३७/अर्थसंकल्प-४, दि.८.४,२०११
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अंदाज २०.११/प्र.क्र.९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, दि.६ मे, २०११
४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक टिएसपी-२००८/प्र.क्र.६/का.६, दि.१६.१२.२००९

**शासन निर्णय :-** आदिवासी उपयोजनांतर्गत **"कामगार व कामगार कल्याण"**या उपशिर्षाखाली सन २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदीचे योजनानिहाय व जिल्हानिहाय वाटप आणि प्रत्येक योजनांचे नियंत्रण अधिकारी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविले आहेत. उपरोक्त संदर्भ क्र.(१) अन्वये माहे एप्रिल व मे महिन्याचा खर्च भागाविण्यासाठी सदर तरतूदीपैकी १/६ निधी खर्च करण्यास मंजूरी याद्वारे देण्यात येत आहे. आता "महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक सन २०११" (महाराष्ट्र विनियोजन (लेखाअनुदान) अधिनियम,२०११ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विर्निदिष्ट करण्यात आलेल्या रक्कमांसह) यास विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेले आहे, आणि ते २०११ चा अधिनियम क्रमांक १७ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग ८ दिनांक २१.४.२०११ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले असल्यामुळे उपरोक्त संदर्भ क्र.(३) अन्वये आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेच्या सन २०११-१२ करीता जिल्हानिहाय/योजनानिहाय वितरीत केलेल्या तरतूदी शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.२ मध्ये दर्शविलेल्या तरतूदी पूर्णतः खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे.

२. तसेच सदर खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार खर्च करावा. मासिक विवरणपत्रानुसारचा निधी एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये पुढे-मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.त्याचप्रमाणे सर्व नियंत्रक अधिकारी / अंमलबजावणी अधिकारी यांनी सदर तरतूदी खर्च करतांना वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अंदाज २०११/प्र.क्र.९३/अर्थसंकल्प-३, दि.६ मे, २०११ च्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

३. वित्तीय वर्ष सन २०११-१२ च्या प्रथम नऊमाही करीता आवश्यक असणारा योजनेतर व योजनांतर्गत अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७५ टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे वितरित केला जाईल. डिसेंबर अखेर खर्चाचे प्रमाण ६५ टक्केपेक्षा कमी असल्यास याप्रमाणात सुधारित अंदाजात कपात करण्यात येईल. सुधारित अंदाज सन २०११-१२ मंजूर करताना प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाणातच मंजूर केले जातील याची नोंद घ्यावी.

४. नियंत्रण अधिकारी आणि विभागप्रमुख यांनी ही तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील मान्य योजनांवर खर्च होतील याची दक्षता घ्यावी. तसेच या तरतूदी खर्च करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी-२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, दिनांक २६ जुलै, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.५९/का-६, दिनांक १० नोव्हेंबर, २००५ मधील अटींचे कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यात येत असलेल्या तरतूदी मासिक खर्च विवरणपत्राप्रमाणे खर्च करण्याची दक्षता सर्व नियंत्रक अधिका-यांनी घ्यावी.

५. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लोकांकरिता वा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रासाठी केलेली तरतूद त्या क्षेत्रातील आदिवासी लोकांकरिता खर्च करण्यात यावी. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत केलेली तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेर किंवा सर्वसाधारण योजनेखाली खर्च करण्यात येवू नये. जर आदिवासी उपयोजनेत केलेली तरतूद खर्च झाली नाही तर सदर तरतूद प्रत्यार्पित करावी व कोणत्याही

परिस्थितीत आदिवासी क्षेत्राबाहेर खर्च करण्यात येवू नये. जर आदिवासी उपयोजनेची तरतूद आदिवासी क्षेत्राबाहेर खर्च झालेली आढळल्यास याबाबत आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, संबंधित जिल्हाधिकारी व नियोजन अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल. तसेच आदिवासी उपयोजनेंतर्गत जिल्हा योजनांसाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल लेखाशिर्षनिहाय/उप लेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती जिल्हाधिकारी.तसेच नियोजन अधिकारी यांनी आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास व आदिवासी विकास विभागस प्रत्येक महिन्यात १० तारखेपर्यंत न चुकता पाठवावी.

६. विभागाच्या दिंनाक १६ डिसेंबर, २००९ च्या शासन निर्णयाव्दारे जिल्हास्तरीय योजना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राबविण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा योजनांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेले असल्यामुळे योजनेसाठी केलेली तरतूद त्याच योजनेवर त्याच जिल्ह्यात खर्च करणे बंधनकारक राहिल. त्यानुसार जिल्हा योजनेसाठी केलेली तरतूद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. तथापि, हाती घेण्यात येणारी कामे संबंधित विभागातील क्षेत्रिय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्त,आदिवासी विकास, नाशिक, संबंधित अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांचेशी चर्चा करुन निश्चित करावी. प्रगतीपथावरील (ongoing works ) कामांपैकी ज्यामध्ये ५० टक्के पेक्षा जास्त खर्च झालेला आहे त्यांच्यावर खर्च करावा. अपवादात्मक परिस्थितीत अशी कामे ज्यावर ५० टक्के पेक्षा कमी खर्च झालेला आहे व त्यास पूर्ण करणे गरजेचे आहे त्याबाबत शासनाची पूर्व परवानगी घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. तसेच जिहास्तरीय योजनेतील कामांची तपासणी करण्याचे अधिकार व जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच प्रकल्प अधिकारी, अपर आयुक्त व आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची संयुक्तीकरित्या राहिल.

७. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल व तो केंद्रशासनाला कळविता येईल.

८. नियंत्रण अधिकारी/विभाग प्रमुख यांनी नियम प्रचलित कार्यपध्दती व सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन चालू योजनांवर खर्च करावा. हे आदेश फक्त अंमलबजावणी /नियंत्रक अधिका-यांच्या अधिनस्त ठेवलेल्या तरतुदीस प्रशासकीय दृष्टया मान्य केलेल्या चालू योजनांवर खर्च करण्यासाठी आहे. याची अंमलबजावणी अधिका-यांनी नोंद घ्यावी.

**९. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टिएसपी) व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (ओटिएसपी) यांचा खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविण्यासाठी लेखाशिर्षामध्ये काही बदल करण्यात आले असल्यास हे बदल लक्षात घेवून खर्च नोंदविताना सुधारित लेखाशिर्ष नोंदविण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी.**

**१०.** सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा **संगणक सांकेतांक २०११०६१४१२५१०५००१ असा** आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

श्री.र. सावंत 29/6/11

**( श. र. सावंत )**
**कार्यासन अधिकारी**

**प्रति,**

संचालक, सेवायोजन, मुंबई. (३ प्रती )
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, मुंबई-१.
आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती.
**सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.**
**सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ.**
**सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.**
**प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सर्व)**
आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर.(प्रत्येकी ५ प्रती)

उच्च व तंत्र शिक्षण विभा/वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.
प्रादेशिक उपसंचालक, तांत्रिक शिक्षण, नागपूर/पुणे/मुंबई/औरंगाबाद.
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक/ठाणे/नंदुरबार/गोंदिया/अमरावती/यवतमाळ/चंद्रपूर.
सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा, पर्यटन व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.(बजेट)
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(अर्थ-१)
कार्यासन अधिकारी का.क्र.२, व १२ आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई.
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई
निवड नस्ती (का-६)

## आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप

| | |
|---|---|
| **शिर्ष :-** कामगार व कामगार कल्याण<br>**योजनेचे नाव :- चालू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील यंत्रसामुग्रीची त्रुटी दूर करणे.**<br>(रुपये हजारात ) | **मागणी क्रमांक :-** टी-५<br>**मुख्य लेखाशिर्ष :-** २२३०-कामगार व सेवायोजन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३-प्रशिक्षण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०२) चालू औद्योगिक संस्थांची उपकरणांची त्रुटी भरुन काढणे<br>**(२२३० १५८२) ५२, हत्यारे व संयंत्रे** |

| जिल्हयाचे नाव | २०११-१२ साठी केलेली तरतुद | | २०११-१२ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | ३ | ४ | ५ |
| | टिएसपी | ओटिएसपी | संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |
| ठाणे | १४८९८ | -- | | | |
| नाशिक | ७००० | -- | | | |
| धुळे | ३०० | -- | | | |
| नंदूरबार | ४०७५ | -- | | | |
| जळगांव | ५०० | -- | | | |
| अहमदनगर | ५०० | -- | | | |
| पुणे | २००० | -- | | | |
| बुलढाणा | -- | ४४० | | | |
| अमरावती | ३७०० | -- | | | |
| यवतमाळ | ६००० | -- | | | |
| नागपूर | -- | ८०० | | | |
| गोंदिया | ८०० | -- | | | |
| चंद्रपूर | ४८०४ | १६९६ | | | |
| गडचिरोली | ४१८४२ | -- | | | |
| हिंगोली | -- | १५०० | | | |
| नांदेड | १४०० | -- | | | |
| **एकुण** | **८७८१९** | **४४३६** | | | |
| **एकुण एकत्रित** | | **९२२५५** | | | |

**आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप**

| **शिर्ष :-** कामगार व सेवायोजन<br>**योजनेचे नाव :- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी कार्यशाळा, प्रशासकिय इमारत, वसतीगृह व कर्मचारी निवासस्थाने बांधकाम**<br>(रुपये हजारात ) | | **मागणी क्रमांक :-** टी-६<br>**मुख्य लेखाशिर्ष :-** ४२५०- इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०१) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी इमारती बांधणे<br>**(४२५० ००५२) ५३-मोठी बांधकामे** | | |
|---|---|---|---|---|
| **जिल्हयाचे नाव** | **२०११-१२ साठी केलेली तरतुद** | **२०११-१२ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी** | **प्रशासकीय विभाग** | **शेरा** |
| **१** | **२** | **३** | **४** | **५** |
| ठाणे | ७३९१३ | संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | बांधकामा वरील टक्केवारी खर्च (१५%) वगळण्यात आला आहे. |
| नाशिक | ३४६१० | | | |
| धुळे | १६६०९ | | | |
| नंदूरबार | २८२५४ | | | |
| पुणे | १६४३५ | | | |
| अमरावती | १७०५३ | | | |
| यवतमाळ | ८६९६ | | | |
| चंद्रपूर | २१३०४ | | | |
| गडचिरोली | ७७६४९ | | | |
| **एकुण** | **२९४५२३** | | | |

**आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप**
**टिएसपी**

| **शिर्ष :-** कामगार व कामगार कल्याण<br>**योजनेचे नाव :- चालू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जादा जागा सुरु करणे**<br>(रुपये हजारात ) | | **मागणी क्रमांक :-** टी-५<br>**मुख्य लेखाशिर्ष :-** २२३०-कामगार व सेवायोजन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३-प्रशिक्षण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०४) चालू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जादा जागा सुरु करणे<br>**(२२३० १६०८) ०१, वेतन ५२, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री** | | |
|---|---|---|---|---|
| **जिल्हयाचे नाव** | **२०११-१२ साठी केलेली तरतुद** | **२०११-१२ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी** | **प्रशासकीय विभाग** | **शेरा** |
| **१** | | **३** | **४** | **५** |
| नंदूरबार | ५४४० | संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |
| पुणे | १५०० | | | |
| **एकुण** | **६९४०** | | | |

## आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील २०११-१२ चे जिल्हानिहाय अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वाटप
## टिएसपी

| | |
|---|---|
| **शिर्ष :-** कामगार व कामगार कल्याण<br>**योजनेचे नाव:- कमी मागणी असलेल्या व्यवसायाच्या ऐवजी जादा मागणी असलेल्या व्यवसायासाठी अभ्यासक्रम सूरु करणे.**<br><br>(रुपये हजारात ) | **मागणी क्रमांक :-** टी-५<br>**मुख्य लेखाशिर्ष :-** २२३०-कामगार व सेवायोजन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३-प्रशिक्षण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०६) कमी मागणी असलेल्या व्यवसायाच्या ऐवजी जादा मागणी असलेल्या व्यवसायासाठी अभ्यासक्रम सूरु करणे.<br>**(२२३० १६२५) ५२, यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री** |

| **जिल्हयाचे नाव** | **२०११-१२ साठी केलेली तरतुद** | **२०११-१२ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी** | **प्रशासकीय विभाग** | **शेरा** |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| यवतमाळ | १०० | संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |
| गडचिरोली | २६८० | | | |
| **एकुण** | **२७८०** | | | |

आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील मार्च, २०११ च्या अधिवेशनात मंजूर झालेल्या तरतूदीचे वाटप (टिएसपी)

| शिर्ष :- कामगार व कामगार कल्याण<br>योजनेचे नाव :- - नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना<br>(रुपये हजारात ) | मागणी क्रमांक :- टी-५<br>मुख्य लेखाशिर्ष :- २२३०-कामगार व सेवायोजन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३-प्रशिक्षण-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०२) नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना<br>**(२२३० १६१७)** | |
|---|---|---|
| २०११-१२ चीी अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
| संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |

| **जिल्हयाचे नाव** | **२०११-१२ साठी केलेली बाबनिहाय तरतुद** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | | | | | | | | | | | | ३ |
| | **०१,वेतन** | **०६दुरध्वनी, वीज व पाणी** | **१०,कंत्राटी सेवा** | **११,प्रवास खर्च** | **१३, कार्यालयीन खर्च** | **१४,भाडेपट्टी व कर** | **२१,सामग्री व पुरवठा** | **२४,पेट्रोल, तेल व वंगण** | **२८, व्यावसायिक व विशेष सेवा** | **३४,शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतने** | **५२,यंत्र सामग्री व साधन सामग्री** | **एकूण** | |
| ऑ.प्र.संस्था, विक्रमगड | ६५१८ | १०० | १५० | ८० | १५० | १००० | ३५० | २४ | १८ | २५ | ५०० | ८९१५ | |
| **ठाणे** | ६५१८ | १०० | १५० | ८० | १५० | १००० | ३५० | २४ | १८ | २५ | ५०० | ८९१५ | |
| ऑ.प्र.संस्था, त्र्यंबकेश्वर | ५००० | १०० | ३०० | २१ | १५० | ८०० | ३९९ | १५ | १८ | २५ | ३४६८ | १०२९६ | |
| औ.प्र.संस्था, देवळा | २०३२ | ६० | २७९ | ३० | १२५ | २६० | ३०० | ० | १८ | २५ | १०५० | ४१७९ | |
| **नाशिक** | ७०३२ | १६० | ५७९ | ५१ | २७५ | १०६० | ६९९ | १५ | ३६ | ५० | ४५१८ | १४४७५ | |
| औ.प्र.संस्था, पोभुर्णा | ५५०० | १२७ | ११५ | १०० | ११० | १५० | १७५ | १५ | २१ | २६ | १००० | ७३३९ | |
| औ.प्र.संस्था, जिवती | ५५०० | १२७ | ११५ | १४८ | ११४ | २८० | १७५ | १५ | २१ | २५ | ९८१ | ७५०१ | |
| **चंद्रपूर** | ११००० | २५४ | २३० | २४८ | २२४ | ४३० | ३५० | ३० | ४२ | ५१ | १९८१ | १४८४० | |
| **गडचिरोली** | १०० | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १ | २३७०७ | २३८१६ | |
| **एकूण** | **२४६५०** | **५१५** | **९६०** | **३८०** | **६५०** | **२४९१** | **१४००** | **७०** | **९७** | **१२७** | **३०७०६** | **६२०४६** | |

## आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेखालील मार्च, २०११ च्या अधिवेशनात मंजूर झालेल्या तरतूदीचे वाटप

| शिर्ष :- कामगार व कामगार कल्याण<br>योजनेचे नाव :- आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण (रुपये हजारात) | मागणी क्रमांक :- टी-५<br>मुख्य लेखाशिर्ष :- २२३०-कामगार व सेवायोजन- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-०३- प्रशिक्षण-७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०१) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था-आदिवासी भागातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विस्तार **(२२३० ०७६४)** | |
|---|---|---|
| २०११-१२ ची अर्थसंकल्पीय तरतुद सुपुर्द करण्यात आलेला नियंत्रण अधिकारी | प्रशासकीय विभाग | शेरा |
| संबंधित जिल्हाधिकारी | उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई | |

| जिल्हयाचे | | | २०११-१२ साठी केलेली बाबनिहाय तरतुद |
|---|---|---|---|
| १ | | | २ |

| | टिएसपी | ओटिएसपी | ०१,वेतन | १०,कंत्राटी सेवा | २१,सामुग्री व पुरवठा | १३,कार्यालयीन खर्च | ११,प्रवास खर्च | ०६,दुरध्वनी व वीज | २८,व्यावसायीक व विशेष सेवा | १४,भाडे पटटी व कर | २४,पेट्रोल व तेल वंगन | ३४,शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन | ५२, यंत्रसामुग्री | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई उपनगर | ० | ५० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५० | ० | **५०** |
| ठाणे | २२००९ | ० | ८३५० | ६०० | ७७० | ३६५ | ३३० | १८० | ५२९ | १८० | ६० | ९४०५ | १२४० | **२२००९** |
| रायगड | ६००० | ० | १३२२ | ० | ७० | २५ | ३५ | २५ | १२५ | ५० | ४० | ३५८२ | ७२६ | **६०००** |
| रत्नागिरी | ० | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १० | ० | **१०** |
| सिंधुदुर्ग | ० | ११ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ११ | | **११** |
| नाशिक | १८४७६ | ३७३९ | ६४०७ | ७६० | ५५० | ३५० | ३५० | ७३० | १८५ | २०० | २३० | १०८५३ | १६०० | **२२२१५** |
| धुळे | ९२७६ | ० | २८३५ | ३५६ | २५० | १५० | १६५ | ९८ | २२८ | १२५ | ८० | ३०२३ | १९६६ | **९२७६** |
| नंदुरबार | २१७३३ | ० | ३६०० | ३५६ | ५०० | २९५ | ३७५ | २७५ | ७०० | १०० | १९० | ११२०० | ४१४२ | **२१७३३** |
| जळगांव | २८१० | १५३६ | ११०० | १७८ | १७५ | १२० | ९५ | ३५ | २२५ | ५० | ४० | २२७८ | ५० | **४३४६** |
| अहमदनगर | ६८२६ | १६६ | २५०० | ३५६ | २२५ | १२५ | १०५ | १०० | २०० | १५० | ६० | १७६० | १४११ | **६९९२** |
| पूणे | २५०० | १००० | ७११ | ० | ८५ | ५० | २५ | २५ | १५० | ० | २० | २४३४ | ० | **३५००** |
| सोलापूर | ० | १८९० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १८९० | | **१८९०** |
| बुलढाणा | ० | ७३५ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७३५ | | **७३५** |
| अकोला | ० | ७५० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७५० | | **७५०** |
| वाशिम | ० | ५०० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ५०० | | **५००** |
| अमरावती | ११२०० | ० | ४०६८ | ३६० | २७५ | १५० | १३५ | १६५ | ४२५ | १०० | ४० | ४५६९ | ९१३ | **११२००** |
| यवतमाळ | ७६५६ | १५२७५ | ३०६६ | ३६० | ३७५ | २२५ | २४५ | ३०० | ५५० | २५० | ५० | १२३७५ | ५१३५ | **२२९३१** |
| नागपूर | १००० | ३७०८ | १३५१ | १८० | १५० | १०० | ५५ | १२२ | ७५ | १०० | ० | २५७५ | ० | **४७०८** |
| वर्धा | ० | ९६६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ९६६ | | **९६६** |
| भंडारा | ० | १५०० | ११६ | ० | ३५ | २० | १५ | १० | ५० | १५ | ० | ११५९ | ० | **१५००** |
| गोंदिया | ६२४४ | १००० | २४९० | १८० | २०५ | ११० | ११५ | ११० | २०० | १२५ | ० | ३२०० | ५०९ | **७२४४** |
| चंद्रपूर | ८७८२ | ० | २६४० | ३६० | ४५० | २२० | २१० | १५० | ३०० | २२५ | ० | ४२२७ | ० | **८७८२** |
| गडचिरोली | १८५०० | ० | ३२५० | ५९८ | ६५० | ४१५ | ६४० | १०० | १०४८ | ७७८ | १२० | ५८९३ | ५००८ | **१८५००** |
| नांदेड | ३०३५ | ६८४ | १११४ | ३५६ | २३५ | ८० | १०५ | ७५ | १० | ५२ | ७० | १६२२ | ० | **३७१९** |
| **एकूण** | **१४६०४७** | **३३५२०** | **४५०००** | **५०००** | **५०००** | **२८००** | **३०००** | **२५००** | **५०००** | **२५००** | **१०००** | **८५०६७** | **२२७००** | **१७९५६७** |